न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12 / 67 / 2021

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2021 / 134

अपीलार्थी — बनाम — **प्रत्यर्थी**

श्री बाबूलाल वाल्मिकी,
निवासी–फैमिली लाईन, सरस दुग्ध डेयरी के पास,
मालवीय नगर, अलवर

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी अलवर

प्रवेश तिथि :: 04.10.2021

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 08.11.2021

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 19.08.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर ग्राम–रूंधबिनक, ग्राम पंचायत बखतपुरा, तह0 अलवर अंतर्गत वर्ष 1970 में जिन व्यक्तियों के नाम अलौटमेंट हुआ, उसकी फोटोप्रति उपलब्ध कराने की वांछा की गई थी।
4. प्रत्यर्थी की ओर से अपीलार्थी को आवेदन दिनांकः 19.08.21 के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 27.09.21 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया, साथ ही ई–मेल के जरिये भी जवाब–नोटिस प्रेषण हेतु सूचित किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांकः सू.अ.अ. / 2021 / 2439–40 दिनांकः 08.11.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराते हुए इस न्यायालय को प्रति प्रेषित की गई है जिसकी फोटोप्रति पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर भी अंकित हैं।
6. अस्तु अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करा दिए जाने के कारण अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।
7. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
8. निर्णय घोषित ।

(वन्दना खोरवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)